

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उपरो, लखनऊ
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उपरो-खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
लखनऊ।

खादी तथा ग्रामोद्योग अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक-29 दिसम्बर, 2010

विषय :- वर्ष 2010-11 में श्री गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी वस्त्रों की बिक्री पर विशेष छूट।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 925/सा0प्रा0बो0/खादी रिबेट/2010-11, दिनांक-15-9-2010 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2010-11 में श्री गांधी जयन्ती के अवसर पर उपरो में स्थित गान्धिता प्राप्त खादी संस्थाओं/समितियों के द्वारा प्रदेश में की जाने वाली खादी वस्त्रों (सूती, ऊनी, पॉली व रेशमी) की बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से निम्न प्रकार विशेष छूट दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (अ) सूती, रेशमी व पॉली खादी वस्त्रों की बिक्री पर दिनांक 03-10-2010 से 60 कार्य दिवसों के लिए छूट अनुमत्त रहेगी।
- (ब) ऊनी खादी (कमल, कमली सहित) की बिक्री पर दिनांक 01-11-2010 से 60 कार्य दिवसों के लिए छूट अनुमत्त रहेगी।

2- उक्त विशेष छूट के लिए अनुमत्तता की शर्तें व प्रतिबन्ध निम्नवत् होंगे :-

- (क) विशेष छूट की सुविधा केवल ऐसी संस्थाओं/समितियों को अनुमत्त होगी, जिनके पास खादी/पॉली खादी का वैध प्रमाण-पत्र हो तथा रजिस्ट्रेशन वैध हो,
- (ख) संबंधित वर्ष के लिए संस्था को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई अथवा उपरो खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से वित्तीय व तकनीकी सहायता खादी के उत्पादन, बिक्री व संचालन के मद् में प्राप्त हुयी हो,
- (ग) संबंधित वर्ष के लिए संस्था का बिक्री तन्त्र खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई अथवा उपरो खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से अनुमोदित हो,
- (घ) यह विशेष छूट केवल ऊनी संस्थाओं को अनुमत्त होगी जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई/उपरो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ए, बी अथवा सी श्रेणी में वर्गीकृत हों,
- (ङ) यह विशेष छूट केवल अनुमोदित विक्रय केन्द्रों पर की गयी बिक्री पर ही अनुमत्त होगी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई और उपरो खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विक्रय केन्द्रों पर की जाने वाली बिक्री पर भी छूट अनुमत्त होगी,
- (च) शासकीय विभागों, संगठनों, संस्थाओं, उपक्रमों, सहकारी समितियों व अन्य स्वायत्तरासी निकायों, जिनका प्रशासनिक नियन्त्रण केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन हो, को की जाने वाली बिक्री पर भी विशेष छूट अनुमत्त होगी,

(घ) खादी बस्त्रों के निर्यात पर यह विशेष छूट अनुमत्त नहीं होगी,
(ज) विशेष छूट के भुगतान की वही प्रक्रिया लागू होगी जो शासनादेश संख्या-764/59-2-2004, दिनांक 26-7-04, सपठित शासनादेश संख्या-866/59-2-2004, दिनांक 16-9-2004, सपठित शासनादेश संख्या-1079(10)/59-2-2005-23(खा)/2000 टी0सी0, दिनांक 18.02.2005, सपठित शासनादेश संख्या-307/59-2-2005-19(खा)/2000 टी0सी0, दिनांक 16.05.2005 द्वारा निर्धारित है।

(झ) जिन संस्थाओं को खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के स्तर से खादी बस्त्रों/ऊन/सूत आदि की आपूर्ति की गयी है, उसकी कीमत की वसूली संबंधित संस्थाओं को देय रिबेट की धराराशि में कटौती करके कर ली जायेगी।

(ञ) बिक्री की सत्यापन प्रक्रिया को नये सिरे से देख लिया जायेगा जिससे केवल वास्तविक बिक्री पर ही रिबेट मिले तथा व्यय को बजट प्राविधान तक ही सीमित किया जा सके।

3- कृपया इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई तथा उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से सम्बद्ध एवं मान्यता प्राप्त खादी संस्थाओं/समितियों एवं बोर्ड के परिक्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को भी परिचालित कराने का कष्ट करें।

भवहीय,

(अशोक कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या - 962(1)/59-1-2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (ग्राम)उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार, इर्ला रोड, विले पार्ले, मुम्बई (पश्चिम)-56
3. वित्त नियंत्रक एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य कार्यालय, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, लेखराज मार्केट, फैजाबाद रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5. संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (खादी), उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
8. नियोजन अनुभाग-4
9. गोपन अनुभाग -1
10. खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12. उप निदेशक, एन0आर्ई0सी0 (प्रशासनिक भवन), ई-फ्लोर, उठा तल, योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)

संयुक्त सचिव